संख्या-29 /2026-779-22-4-2025-1949304

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:-कारागार मुख्यालय के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहन के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-33300/नजारत(4)/37/2025, दिनांक 22.08.2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से निष्प्रयोज्य अर्टिगा कार के सापेक्ष 01(एक) INNOVA CRYSTA (G1, MT) मूल्य रु0 19,15,503 तथा निष्प्रयोज्य बोलेरो वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 01(एक) BoleroNeo N4(o)BS6.2 मूल्य रू0 9,93,437/ अर्थात् कुल 02 अदद प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि **रू0 29,08,940/-(रु0 उनतीस लाख आठ हजार नौ सौ चालीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करतें हैं:-

(1) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.11.2024 एवं 21.12.2023 में निहित व्यवस्थानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर महानिरीक्षक कारागार द्वारा वाहनों का क्रय नियमानुसार किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) वाहनों के क्रय हेतु धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। वाहनों की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/ मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में महानिरीक्षक कारागार विभागीय व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो लेंगे।

(4) क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं समयबद्ध आपूर्ति के संबंध में महानिरीक्षक कारागार पूर्णत: संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा स्वीकृत सीमा से अधिक किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6)वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का महानिरीक्षक कारागार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) वाहनों के क्रय के संबंध में महानिरीक्षक कारागार द्वारा एम0एस0एम0ई0 के शासनादेशो में निहित दिशा निर्देश/ व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)वाहनों के क्रयार्थ स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,08,940 (रुपये उनतीस लाख आठ हजार नौ सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002500 कारागार - मुख्य **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-12-691-X-2025-26-दिनांक:24-3-2026,** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2026-779-22-4-2025-1949304, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।